

**अनुदान संख्या 30 - पर्यावरण और वन मंत्रालय**  
**GRANT No. 30-MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित-	Charged-	1,80,00	1,80,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2090,70,00	2090,78,00	1992,22,64
पूरक	Supplementary	8,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-98,55,36
				88,54,79
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	36,50,00	36,51,00	27,68,37
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-8,82,63
				6,22,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतों/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services			
मू.	O.	3523.00	3938.90	3924.57
पू.	S.	1.00		
उ.	R.	414.90		
				-14.33

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2406" वानिकी तथा वन्य जीव	Major Head "2406" Forestry and Wild Life			
मू.	O.	57571.00		
पू.	S.	3.00	62557.59	62227.99
पु.	R.	4983.59		-329.60
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	17400.00		
पू.	S.	1.00	1.00	. .
पु.	R.	-17400.00		-1.00
मुख्य शीर्ष "3435" परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	Major Head "3435" Ecology and Environment			
मू.	O.	95589.00		
पू.	S.	3.00		
पु.	R.	-720.94	94871.06	94223.59
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	34967.00		
पु.	R.	3887.66	38854.66	38846.49

(I) 18973.00 लाख रु. का प्रावधान चौबीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 18611.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2406" -

(क) "वानिकी - शिक्षा और प्रशिक्षण - अन्य सेवाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण" - 200.00 लाख रु. आर्थिक

(I) Provision of Rs.18973.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty four heads; of these Rs.18611.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2406" -

(a) "Forestry - Education and Training - Training of Personal of others services" -

कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन देर से प्राप्त होने के कारण थे।

Rs.200.00 lakhs – due to late receipt of approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(ख) “वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम - पीआरआई के माध्यम से वनरोपण (एनसीएमपी संबंधी स्कीम)/पंचायत वन योजना” - 1000.00 लाख रु. आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(b) “Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco-Development Programme – Afforestation through PRI’s (NCMP-related Scheme)/ Panchayat Van Yojana” – Rs.1000.00 lakhs - due to non-approval of scheme by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(खा) मुख्य शीर्ष “2552” -

(B) Major Head “2552” -

(क) “पर्यावरणीय वानिकी - वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - केंद्रीय प्राणित्थान प्राधिकरण” - 300.00 लाख रु.;

(a) “Environment Forestry Wild Life- Wild Life Preservation- Central Zoo Authority” – Rs.300.00 lakhs;

(ख) “वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम” -

(b) “Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco-Development Programme” -

(i) “राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड” - 150.00 लाख रु.;

(i) “National Afforestation and Eco-Dev. Board” – Rs.150.00 lakhs;

(ii) “राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम” - 5501.00 लाख रु. (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) “National Afforestation Programme” – Rs.5501.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2010);

(ग) “पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवण/ पर्यावरणीय/शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार - पर्यावरणीय शिक्षा और प्रशिक्षण विस्तार” - 300.00 लाख रु.;

(c) “Environment Research and Ecological Regeneration/Environmental/Education/ Training/Extn. - Environment Education and Training Extension” – Rs.300.00 lakhs;

(घ) “प्रदूषण निवारण और राष्ट्रीय नदी - राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम” - 1500.00 लाख रु.;

(d) “Prevention of Pollution and National River - National River Conservation Programme” – Rs.1500.00 lakhs;

(ङ) “वानिकी - वन संरक्षण विकास और पुनरुद्भवण” - “एकीकृत वन संरक्षण स्कीम” - 2080.00 लाख रु.;

(e) “Forestry – Forest conservation Development and Regeneration - Integrated Forest Protection Scheme” – Rs.2080.00 lakhs;

- |   |   |
|---|---|
| (च) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण" -   | (f) "Environmental Forestry and Wildlife – Wildlife Preservation" –   |
| (i) "परियोजना बाघ" - 5530.00 लाख रु.;   | (i) "Project Tiger" – Rs.5530.00 lakhs;   |
| (ii) "परियोजना हाथी" - 300.00 लाख रु.;  | (ii) "Project Elephant" – Rs.300.00 lakhs;  |
| (iii) "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास /वन्य जीव निवास के एकीकृत विकास के लिए सहायता" - 750.00 लाख रु.; | (iii) "Assistance for Development of National Parks and Sanctuaries/Integrated Development of Wildlife Habitats" – Rs.750.00 lakhs; |
| (छ) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुदभवन - संरक्षण कार्यक्रम" -   | (g) "Environmental Research and Ecological Regeneration – Conservation Programme"–  |
| (i) "जीवमंडल रिजर्व" - 150.00 लाख रु.;  | (i) "Biosphere Reserve" – Rs.150.00 lakhs;  |
| (ii) "मैंग्रोव पारिस्थितिकी प्रणाली और आर्द्र भूमि" - 150.00 लाख रु.; और  | (ii) "Mangroves Eco-Systems and wetlands" – Rs.150.00 lakhs; and  |
| (ज) "वानिकी शिक्षा और प्रशिक्षण - भारतीय वानिकी और शिक्षा परिषद" - 500.00 लाख रु.।                                | (h) "Forestry Education and Training – Indian Council of Forestry and Education" – Rs.500.00 lakhs.                                 |

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to the functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण जीविका सुधार" - 200.00 लाख रु. का व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation – Bio-diversity Conservation and Rural Livelihood Improvement" – Rs.200.00 lakhs - due to non-approval of scheme by the Expenditure Finance Committee.

(II) मुख्य शीर्ष "2406" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2406" – savings occurred under the following heads:-

(का) "वानिकी" -

(A) "Forestry" –

- (क) “शिक्षा और प्रशिक्षण - वानिकी कार्मिकों का विदेश में प्रशिक्षण” - 451.97 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन देर से प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) “वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग - संरक्षणीय वन प्रबंधन प्रमाणीकरण, व्यापार आदि/लकड़ी और बिना लकड़ी वाले वन संसाधनों के लिए प्रमाणीकरण कार्यक्रम” - 132.98 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान परियोजनाओं के अपेक्षित संख्या में मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।
- (खा) “पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - प्राणियुद्धान - राष्ट्रीय प्राणियुद्धान, नई दिल्ली” - 146.24 लाख रु. की बचत (941.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (गा) “वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड” - 392.12 लाख रु. की बचत (1250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने, मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त न होने और विदेशी दौड़ों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।
- (III) मुख्य शीर्ष “3435” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-
- (क) “पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन” -
- (क) “पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण/विस्तार” -
- (i) “पर्यावरणीय शिक्षा” - 762.25 लाख रु. की बचत (5054.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने
- (a) “Education and Training – Foreign Training of Forestry Personal” – saving of Rs.451.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to late receipt of approval of scheme by the Cabinet Committee on Economic Affairs.
- (b) “Survey and Utilisation of Forest Resources – Sustainable Forest Management Certification, Trade etc./ Certification Prog. for Wood and Non-Wood Forests Resources” – saving of Rs.132.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to non-materialisation of requisite number of research projects.
- (B) “Environmental Forestry and Wildlife – Zoological Park – National Zoological Park, New Delhi” – saving of Rs.146.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.941.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.
- (C) “Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco- Development Programme – National Afforestation and Eco-Development Board” – saving of Rs.392.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1250.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals, non-receipt of evaluation report and non-approval of foreign tours.
- (III) Under Major Head “3435” – savings occurred under the following heads:-
- (A) “Environment Research and Ecological Regeneration” –
- (a) “Environmental Education Training/ Extension” –
- (i) “Environmental Education” – saving of Rs.762.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5054.00 lakhs) was due to

और पूर्वोत्तर राज्यों से कम प्रस्ताव के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) “राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय” 184.43 लाख रु. की बचत (925.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट से संबंधित बकाया की कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।

(ख) “पर्यावरणीय योजना और समन्वय - उत्कृष्टता केंद्र” - 112.86 लाख रु. की बचत (1005.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) “अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन” - हिमालयी अनुसंधान और विकास” - 200.30 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गोविंद वल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) “प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण” -

(क) “राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण - राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम” - 13500.93 लाख रु. की बचत (51100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस नव गठित प्राधिकरण के लिए आवंटन देर से घोषित किए जाने और उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक आयोजित किए जाने और कार्य के गति पकड़ने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) “वायु और जल प्रदूषण का निवारण - पर्यावरण प्राधिकरणों की स्थापना” - 215.56 लाख रु. की बचत (280.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और किराए की कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।

non-receipt of utilisation certificates and receipt of less proposals from North Eastern states.

(ii) “National Museum of Natural History” – saving of Rs.184.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.925.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less payment of arrears on account of 6th Central Pay Commission Report.

(b) “Environmental Planning and Co-ordination – Centres of Excellence” – saving of Rs.112.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1005.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

(c) “Research and Ecological Regeneration – Himalayan Research and Development” – saving of Rs.200.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificate from Gobind Ballabh Pant Himalayan Institute of Environment and Development.

(B) “Prevention and Control of Pollution” –

(a) “Prevention of Pollution of National Rivers – National River Conservation Programme” – saving of Rs.13500.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.51100.00 lakhs) was due to late announcement on allocation for this newly constituted authority and consequent delay in holding meeting of National Ganga River Basin Authority and in work gaining momentum.

(b) “Prevention of Air and Water Pollution – Establishment of Environment Authorities” – saving of Rs.215.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.280.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less payment of rent.

(ग) “प्रभाव निर्धारण - राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम” - 1397.73 लाख रु. की बचत (1550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति से परियोजना का अनुमोदन देर से प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) “अन्य - अन्य व्यय” -

(क) “राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली” - 107.06 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “जलवायु परिवर्तन परियोजना” - 120.00 लाख रु. की बचत (725.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्ताव प्राप्त होने और उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) “खतरनाक पदार्थ प्रबंधन” - 987.66 लाख रु. की बचत (1750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व बैंक से बातचीत में विलंब होने और आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से नई परियोजना के प्रस्ताव देर से प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) “भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - पर्यावरण सहायता कार्यक्रम” - 210.83 लाख रु. की बचत (747.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदानग्राही संस्थानों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) “सूचना प्रौद्योगिकी” - 470.90 लाख रु. की बचत (902.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई-गवर्नेंस परियोजना लागू करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति न किए जाने के कारण हुई।

(c) “Impact Assesment – National Coastal Management Programme” – saving of Rs.1397.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1550.00 lakhs) was due to late receipt of Project approval from Cabinet Committee on Economic Affairs.

(C) “Others – Other Expenditure” –

(a) “National Natural Resource Management System” – saving of Rs.107.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs); and

(b) “Climate Change Project” – saving of Rs.120.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.725.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals and non-receipt of utilisation certificates.

(c) “Hazardous Substance Management” – saving of Rs.987.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1750.00 lakhs) was due to delay in negotiation with World Bank and late receipt of proposals for new project from State Governments of Andhra Pradesh and West Bengal.

(d) “Govt. of India – United Nations Development Programme (GOI-UNDP) Environment Support Programme (EAP)” – saving of Rs.210.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.747.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from grantee institutes.

(e) “Information Technology” – saving of Rs.470.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.902.00 lakhs) was due to non-engagement of consultants for implementation of E-Governance project.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 58.33 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (20108.76 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में 4.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय" - 414.90 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 400.57 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2406" -

(क) "वानिकी - अनुसंधान - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद" - 2500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2499.00 लाख रु. था।

(ख) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - भारतीय वन्य जीव संस्थान" - 280.00 लाख रु.।

(गा) मुख्य शीर्ष "3435" -

(क) "सर्वेक्षण (वानस्पतिक)" -

(i) "निर्देशन और प्रशासन" -

(1) "भारतीय वनस्पति उद्यान" - 61.45 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 56.00 लाख रु. था।

(2) "क्षेत्रीय कार्यालय" - 86.10 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 86.13 लाख रु. था।

(ii) "अनुसंधान" -

(IV) Under one head saving of Rs.58.33 lakhs occurred constituting 21 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.20108.76 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.4.00 lakhs in December, 2009 and March, 2010/vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Environment and Forests" - Rs.414.90 lakhs. Actual excess, however, was Rs.400.57 lakhs.

(B) Major Head "2406" -

(a) "Forestry - Research - Indian Council of Forestry Research and Education" - Rs.2500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2499.00 lakhs.

(b) "Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation - Wild Life Institute of India" - Rs.280.00 lakhs.

(C) Major Head "3435" -

(a) "Survey (Botanical)" -

(i) "Direction and Administration" -

(1) "Indian Botanic Garden" - Rs.61.45 lakhs. Actual excess, however, was Rs.56.00 lakhs.

(2) "Regional Offices" - Rs.86.10 lakhs. Actual excess, however, was Rs.86.13 lakhs.

(ii) "Research" -

- |   |   |
|---|---|
| (1) “भारतीय वनस्पति उद्यान” - 184.47 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 167.07 लाख रु. था।                                    | (1) “Indian Botanic Garden” – Rs.184.47 lakhs. Actual excess, however, was Rs.167.07 lakhs.   |
| (2) “क्षेत्रीय कार्यालय” - 388.14 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 336.94 लाख रु. था।                                       | (2) “Regional Offices” – Rs.388.14 lakhs. Actual excess, however, was Rs.336.94 lakhs.  |
| (3) “मुख्यालय कार्यालय” - 528.29 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 520.28 लाख रु. था।  | (3) “Headquarters Office” – Rs.528.29 lakhs. Actual excess, however, was Rs.520.28 lakhs.   |
| (ख) “सर्वेक्षण (प्राणिविज्ञान) - अनुसंधान - मुख्यालय कार्यालय” - 696.89 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 699.14 लाख रु. था। | (b) “Survey (Zoological) – Research – Headquarters Office” – Rs.696.89 lakhs. Actual excess, however, was Rs.699.14 lakhs.                  |
| (ग) “पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भवन” -   | (c) “Environmental Research and Ecological Regeneration” –  |
| (i) “अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भवन - पारिस्थितिकी विकास बल” - 1185.52 लाख रु.।   | (i) “Research and Ecological Regeneration – Eco-Development Forces” – Rs.1185.52 lakhs.   |
| (ii) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन/निकाय” - 553.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 523.51 लाख रु. था।  | (ii) “International Cooperation – Other International Organisations/Bodies” – Rs.553.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.523.51 lakhs. |
| (घ) “प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण - वायु और जल प्रदूषण का निवारण” -  | (d) “Prevention and Control of Pollution – Prevention of Air and Water Pollution” –   |
| (i) “केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” - 414.00 लाख रु.।   | (i) “Central Pollution Control Board” – Rs.414.00 lakhs.  |
| (ii) “जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण (उपकर)” - 12816.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 12815.00 लाख रु. था।             | (ii) “Prevention and Control of Water Pollution (Cess)” – Rs.12816.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.12815.00 lakhs.                 |
| (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-                                      | (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-   |
| (का) मुख्य शीर्ष “2406” -   | (A) Major Head “2406” –   |

(क) “वानिकी” -

(i) “शिक्षा और प्रशिक्षण - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी” - 892.36 लाख रु. का अधिक व्यय (1128.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित भारतीय वन सेवा वेतन नियमों के अनुसार भारतीय वन सेवा अधिकारियों का अनिवार्य मध्य कैरियर प्रशिक्षण लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) “वन संरक्षण, विकास और पुनरुद्भवन - वन प्रभागों का सुदृढीकरण” - 210.81 लाख रु. का अधिक व्यय (783.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) “पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - केंद्रीय प्राणियुद्धान प्राधिकरण” - 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) “वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम” - 2696.00 लाख रु. का अधिक व्यय (29062.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “3435” - “सर्वेक्षण (प्राणिविज्ञान) -

(क) “निर्देशन और प्रशासन - मुख्यालय कार्यालय” - 105.25 लाख रु. का अधिक व्यय (431.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(a) “Forestry” -

(i) “Education and Training – Indira Gandhi National Forest Academy” – excess of Rs.892.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1128.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementing mandatory Mid Career/ Training of IFS officers as per amended IFS Pay Rules.

(ii) “Forest Conservation, Development and Regeneration – Strengthening of Forests Divisions” – excess of Rs.210.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.783.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(b) “Environmental Forestry and Wildlife – Wildlife Preservation – Central Zoo Authority” – excess of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1450.00 lakhs); and

(c) “Afforestation and Eco-Development - National Afforestation and Eco-Development Programme - National Afforestation Programme” – excess of Rs.2696.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.29062.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head “3435” – “Survey (Zoological)” -

(a) “Direction and Administration – Headquarters Office” – excess of Rs.105.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.431.30 lakhs); and

(ख) “अनुसंधान - क्षेत्रीय कार्यालय” - 136.75 लाख रु. का अधिक व्यय (726.25 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” -

(क) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(i) “पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भव - संरक्षण कार्यक्रम” -

(1) “जीवमंडल रिजर्व” - 143.64 लाख रु. का अधिक व्यय (650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(2) “आर्द्र भूमि” - 149.99 लाख रु. का अधिक व्यय (825.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) “वानिकी - वन संरक्षण विकास और पुनरुद्भव - एकीकृत वन संरक्षण स्कीम/वन प्रबंधन का तीव्रीकरण” - 1513.72 लाख रु. का अधिक व्यय (5400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(i) “पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण” -

(1) “परियोजना बाघ - राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों को सहायता” - 1786.08 लाख रु. का अधिक व्यय (18365.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(b) “Research – Regional Office” – excess of Rs.136.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.726.25 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(C) Major Head “3601” -

(a) “Grants for Central Plan Schemes” -

(i) “Environmental Research and Ecological Regeneration – Conservation Programme” -

(1) “Biosphere Reserves” – excess of Rs.143.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.650.00 lakhs);

(2) “Wetlands” – excess of Rs.149.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.825.00 lakhs);

(ii) “Forestry – Forest Conservation Development and Regeneration – Integrated Forest Protection Scheme/ Intensification of Forest Management” – excess of Rs.1513.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5400.00 lakhs);

(b) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(i) “Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation” -

(1) “Project Tiger – Assistance to National Parks and Sanctuaries” – excess of Rs.1786.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18365.00 lakhs);

- (2) “परियोजना हाथी” - 283.30 लाख रु. का अधिक व्यय (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (2) “Project Elephant” – excess of Rs.283.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs); and
- (ii) “पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव - प्राणि-परिरक्षण - राष्ट्रीय उद्यान के विकास/वन्य जीव आवासों के स्वीकृत विकास के लिए सहायता” - 150.62 लाख रु. का अधिक व्यय (7100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (ii) “Environmental Forestry and Wildlife – Zoological Preservation – Assistance for Development of National Park/Integrated Development of Wildlife Habitats” – excess of Rs.150.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7100.00 lakhs).

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above six heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत 174.20 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत और 44 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of Rs.174.20 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 15 percent and 44 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष “5425” अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Head Major Head “5425” Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research		
म. प. र.	O. S. R.	2095.00 1.00 -583.00	1513.00 1312.40 -200.60

(I) “पारिस्थितिकी और पर्यावरण - नए सिविल निर्माण कार्य” के अंतर्गत 711.01 लाख रु. की बचत (दिसंबर, 2009 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1651.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए कार्यों के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने, सवाई माधोपुर में राजीव गांधी राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में कार्य की धीमी प्रगति होने और पटना में भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण के लिए कार्यालय भवन का निर्माण शुरू न होने के कारण हुई।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 72.59 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

(I) Under “Ecology and Environment – New Civil Works” – saving of Rs.711.01 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1651.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in December, 2009) was due to non-receipt of sanction for new works, slow progress of work at Rajiv Gandhi National Museum of Natural History at Sawai Madhopur and not taking up construction work of office building for Zoological Survey of India at Patna.

(II) Under one head saving of Rs.72.59 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

---